

कार्यालय : जिला परिषद्, कटिहार ।

– : विज्ञापन प्रारूप :-

पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 11868 / पं0रा० दिनांक 12.12.2022 के आलोक में जिला परिषद् कार्यालय, कटिहार अन्तर्गत रिक्त पद के विरुद्ध पर संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार/जिला परिषद्/बोर्ड/निगम/लोक उपक्रम से सेवानिवृत् सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रधान लिपिक—सह—लेखापाल, आशुलिपिक, सहायक लेखापाल एवं लिपिक से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	पदनाम	रिक्त की स्थिति	अभ्युक्ति
01	सहायक अभियंता	01	
02	कनीय अभियंता	03	
03	प्रधान लिपिक—सह—लेखापाल	01	
04	आशुलिपिक	04	
05	सहायक लेखापाल	01	
06	लिपिक	04	

आवेदन पत्र दिनांक 25.03.2023 तक जिला परिशद् कार्यालय, कटिहार में कार्यालय अवधि में सीधे या निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

संविदा पर नियोजन हेतु शर्त निम्न प्रकार हैः—

- 1 चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक—एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद् द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित जिला परिषद् द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत् सेवकों का संविदा विस्तार प्रमण्डलीय आयुक्त की सहमती से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। परन्तु वैसे पदों जिनकी सेवानिवृति की आयु भी 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी।
 - 2 संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृति सेवकों का चयन किये जाते समय उनके अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
 - 3 आवेदक को इस आशय का शपथ—पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
 - 4 संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही होगा।
 - 5 मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृति सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
 - 6 नयी पेशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक—उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया किया जा सकेगा।
- ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद सर्वग के लिए अनुमान्य पै—बैण्ड का आरंभिक वेतन/वेतन स्तर (Pay Level) का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त, वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महँगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।
- 7 संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवाकों की भाती क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।
 - 8 नियोजित संविदा कर्मियों को जिला परिषद् के साथ एक एकरारनामा विहित प्रपत्र में करना होगा जिसमें नियम एवं शर्त रहेगी।
 - 9 संविदा पर नियुक्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय—समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्द कर दी जायेगी।
 - 10 बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।